



# कार्यालय: राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०-834001

E-mail ID- [support@ranchimunicipal.com](mailto:support@ranchimunicipal.com)

पत्रांक:- 2289

दिनांक:- 10/11/2020

## अल्पकालीन बन्दोबस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/12/2020 से 30/11/2021 तक के लिए राँची नगर निगम नियंत्रणाधीन बाजार/हाट, बस/ट्रेकर/ऑटो स्टैण्ड एवं वाहन पड़ाव की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था/समिति/प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

बाजार, स्टैण्ड एवं वाहन पड़ाव की सूची, सुरक्षित राशि, जमानत की राशि एवं डाक की तिथि निम्नवत है :-

क्र० सं०	स्टैण्ड/बाजार/पड़ाव स्थलों का नाम	वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित सुरक्षित	जमानत की राशि (सुरक्षित राशि का 25%)
1	2	3	4
1	अपर बाजार (बड़ा बाजार)	313183	78296
2	गुदड़ी बाजार	80500	20125
3	आईटीआई बस स्टैण्ड, इटकी रोड, राँची।	7344667	1836167
4	रामगढ़ ट्रेकर स्टैण्ड, राँची।	594244	148561
5	संत जेवियर कॉलेज के सामने (वेंडिंग जोन छोड़कर) टैम्पू स्टैण्ड	409017	102254
6	सिद्धू-कान्हु पार्क के सामने एवं बगल में वाहन पड़ाव	137643	34411
7	गुप्ता भण्डार से लेदर वर्ल्ड तक भाया इण्डिया होटल तक एक तरफ।	132000	33000
8	सिटाडेल (ब्लैकबेरी) बिल्डिंग के बाहर से लेकर होराइजन होण्डा तक	285120	71280
9	नाइस फर्निचर से लेकर भारत शू तक भाया रोस्पा टावर एवं बैंक ऑफ इण्डिया के कॉर्नर तक नोट:- नाइस फर्निचर से लेकर रोस्पा टावर एवं बैंक ऑफ इण्डिया से लेकर भारत शू तक केवल दो पहिया वाहन।	295680	73920
10	हिरो शोरूम से लेकर भी-मार्ट तक (भाया कम्प्यूटर नेटवर्क एवं राज अस्पताल)	260854	65214
11	चर्च कॉम्प्लेक्स के सामने से लेकर नाइस फर्निचर तक	752400	188100
12	शारदा बाबू लेन (दो पहिया वाहन, अस्थायी)	95410	23853
13	अल्बर्ट एक्का चौक से सर्जना चौक भाया सदर अस्पताल के बाउन्ड्री साईड तक।	413700	163425

उपरोक्त बाजार/स्टैण्ड/पड़ाव की बन्दोबस्ती हेतु निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई है :-





निविदा प्राप्त करने  
की तिथि

निविदा निष्पादन की  
तिथि

01	क्रम संख्या 01 से 06 तक के लिए	-	दिनांक 24/11/2020 अपराह्न 1.00 बजे तक	दिनांक 24/11/2020 अपराह्न 3.00 बजे
02	क्रम संख्या 07 से 13 तक के लिए	-	दिनांक 25/11/2020 अपराह्न 1.00 बजे तक	दिनांक 25/11/2020 अपराह्न 3.00 बजे
02	आवेदन प्रपत्र का मुल्य	-		500/-रु०

नोट:- आवेदन पत्र दिनांक 11/11/2020 से 23/11/2020 किसी भी कार्य दिवस  
अपराह्न 2.00 बजे तक निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती के नियम एवं शर्तें निगम वेब-साईट [www.ranchimunicipal.com](http://www.ranchimunicipal.com) पर एवं  
कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में  
बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

उप नगर आयुक्त  
राँची नगर निगम, राँची।



# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

## सब्जी बाजार/स्टैण्ड के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक 01/12/2020 से 30/11/2021 तक के लिये होगी।
2. संबंधित बाजारों/स्टैण्ड आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, वे निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	- 100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से उपर	- 70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के 30 जून, 2021 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

नोट: बन्दोबस्त राशि का भुगतान **Demand Draft / RTGS** के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी तथा आवंटन के उपरान्त निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। अगर किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने पर एकरारनामा रद्द किया जा सकता है एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा- विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।

12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निर्धारित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
13. स्टैण्ड से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार सिर्फ रांची नगर निगम का होगा।
14. ITI बस स्टैण्ड में बसों को व्यवस्थित रूप से लगवाना होगा एवं बसों के आवागमन हेतु यातायात व्यवस्थित करने के लिये कम से कम 04 स्वच्छ छवि के कर्मी रखने होंगे जो कि शिफ्ट वार में कार्य करेंगे तथा संवेदक के द्वारा उन्हें पहचान पत्र दिया जाएगा। सभी कर्मी ड्रेस में होंगे, जिसका रंग एवं प्रकार निगम के द्वारा तय किया जायेगा। बस पड़ाव में खाली बसे निर्धारित स्थान पर ही लगेगी। इस निमित्त बस स्टैण्ड प्रबंधक-सह-नगर प्रबंधक, बाजार शाखा के द्वारा इस संबंध में दिये गये निदेश बाध्यकारी होंगे। साथ ही निगम के उच्च पदाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर यातायात व्यवस्थित करने के संबंध में दिये गये निदेशों का अनुपालन करना होगा। बन्दोबस्तधारी को उनके स्तर से नियुक्त कर्मियों की सूची, उनकी मासिक उपस्थिति एवं उनको भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक एवं PF कटौति का दस्तावेज हर माह के अंत तक स्वास्थ्य शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।  
निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।
15. बस स्टैण्ड की बन्दोबस्ती राशि के अतिरिक्त ITI बस स्टैण्ड के लिये एक लाख रु० Performance Security के रूप में जमा करना होगा एवं शेष बस/टैम्पू स्टैण्ड के लिये 25000/- रु० Performance Security के रूप में जमा करना होगा।
16. बस स्टैण्ड परिसर में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु० एवं अधिकतम 25,000/-रु० अर्थदण्ड बन्दोबस्तधारी के विरुद्ध आरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि से समायोजित कर जी जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।
17. देख-रेख एवं सुरक्षा के लिए कर्मी नियुक्त नहीं करने की स्थिति में 2,000/-रु० प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं इस राशि को Performance Security की राशि से समायोजित कर लिया जायेगा।
18. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपत्ति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. तथा निवास प्रमाण पत्र या स्वप्रमाणित Address proof (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/Electricity bills) संलग्न करना आवश्यक है।
19. स्टैण्ड से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम जिम्मेवार नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
20. बन्दोबस्ती स्थल की साफ-सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी। निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया जायेगा कि बन्दोबस्ती स्थल की सफाई नहीं की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 259 के तहत प्रतिदिन 500/- रु० न्यूनतम अर्थदण्ड लिया जा सकता है एवं सफाई स्थल के साफ-सफाई में आने वाले खर्च अलग से वसूल किये जायेंगे। निगम द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड एवं सफाई करने में हुये खर्च की वसूली बन्दोबस्तीधारी के द्वारा दिये गये जमानत की राशि से वसूल की जायेगी।

21. ITI बस स्टैण्ड की साफ-सफाई के लिये 5 (पाँच) सफाई कर्मी की सूची बस स्टैण्ड प्रबंधक एवं नगर प्रबंधक बाजार शाखा, बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड को उपलब्ध कराना होगा। सफाई व्यवस्था का पर्यवेक्षण भविष्य में Mobile App एवं भौतिक सत्यापन द्वारा किया जाएगा। Mobile App बनाने का खर्च बन्दोबस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा।
22. अधिसूचना संख्या 06/ ए0/ न0वि0/ एस0बी0एम0/यूजर चार्ज 02/2015/470 दिनांक 15.03.2016 के आदेशानुसार सब्जी बाजार के संवेदकों को प्रत्येक सब्जी विक्रेता से प्रतिदिन 7/- रू0 के दर से सफाई शुल्क वसूल कर कार्यालय में जमा करना होगा।
23. किसी भी निविदा को वगैर कोई कारण बतायें रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

**नोट:-** मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदादाता के द्वारा अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा ससमय निविदा खोलने के समय उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जाती है तो अनुपस्थिति में ही निविदा निष्पादन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।



उप नगर आयुक्त,  
रांची नगर निगम, रांची।

# कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

## पड़ाव के लिए बन्दोबस्ती की शर्तें।

1. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक ...01/12/2020 से ...30/11/2021 तक के लिये होगी।
2. संबंधित पड़ाव आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों के पास निगम की राशि बकाया होगी, निविदा में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर ऐसे किसी बकायेदार द्वारा निविदा डाली जाती है, तो उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथम संबंधित सफल निविदादाता को कार्य आवंटन संबंधी L.O.A निर्गत किया जायेगा।
5. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
6. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक के निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
(i)	10 लाख रु० तक	— 100% 24 घण्टे के अंदर
(ii)	10 लाख रु० से उपर	— 70% राशि 24 घंटे के अंदर एवं शेष 30% राशि वित्तीय वर्ष के ...30/11/2021 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

**नोट :-** राशि का भुगतान **Demand Draft/ RTGS** के माध्यम से करना होगा।

7. बन्दोबस्त राशि के विरुद्ध निर्धारित GST एवं TCS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा तथा आवंटन के उपरांत निगम कार्यालय में GST No. देना अनिवार्य होगा। यदि किसी बन्दोबस्तधारी का GST निबंधन नहीं किया गया हो, तो उन्हें शपथ पत्र निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. L.O.A निर्गत होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, तो इसके लिये अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही एकरारनामा किये जायेंगे।
9. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
10. निर्धारित शर्त के उल्लंघन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिये एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य विपरीत परिस्थिति यथा— विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे आने पर एकरारनामा रद्द एवं जमानत की राशि जब्त करके पुर्न निविदा आमंत्रित करने का अधिकार राँची नगर निगम को सुरक्षित होगा।
11. द्वितीय किस्त वसूली के लिये कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं भी किया जा सकता है, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई है, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
12. महसूल (टॉल टैक्स) वसूली निगम द्वारा निम्नांकित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।

पार्किंग दर निम्नवत् होगी :-

चार पहिया वाहन	-	20/-रु0 प्रति तीन घंटा
दो पहिया वाहनों के लिये	-	05/-रु0 प्रति तीन घंटा

शनिवार, रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में पार्किंग शुल्क दर आधा होगा परन्तु दो पहिया वाहनों के लिये पार्किंग शुल्क 05/-रु0 से कम नहीं होगा।

13. 10 मिनट की अवधि प्रतिक्षा अवधि मानी जायेगी एवं इसके लिये पार्किंग शुल्क देय नहीं होगा।

14. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार निगम का होगा।

15. Performance Security के रूप में 25,000/- रु0 जमा करना होगा।


16. पड़ाव स्थल में अवैध Vendor (यथा ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जानें पर प्रत्येक दिन के लिए 2,000/-रु0 अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गयी Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा करनी होगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक को वापस कर दी जायेगी।

17. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/चल-अचल संपत्ति का ब्योरा/संबंधित थाना से अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं आयकर विभाग से निर्गत PAN No. तथा निवास प्रमाण पत्र या स्वप्रमाणित Address proof (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/Electricity bills) संलग्न करना आवश्यक है।

18. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर निगम की जिम्मेवारी नहीं होगी। उसकी जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।

19. किसी भी निविदा को बगैर कोई कारण बताये रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार रांची नगर निगम को सुरक्षित होगा।

**नोट:-** मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निविदादाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकते हैं। यदि निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो निविदा की कार्रवाई बाधित नहीं होगी।

  
उप नगर आयुक्त,  
रांची नगर निगम, रांची।